राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत 18 जैड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2017

1. रणजीतसिंह
2. गुरदाससिंह

} पुत्रान हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.05.2017

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी तथा उसके भाई गुरदाससिंह के नाम मुश्तर्का खाता में चक 2 बी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 65/76 मुरब्बा नम्बर 15 में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है। इसी चक के मुरब्बा नम्बर 16 में भी दोनों के नाम से मुश्तर्का खाता में भूमि दर्ज है मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 तक सरकारी रास्ता आया हुआ है। तथा चल रहा है मुरब्बा नम्बर 15 के लिये कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होनें से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 में 10 फीट चौड़ा रास्ता उत्तरी हिस्सा में करवाना आवश्यक है क्योंकि रकबा मुश्तर्का खाता में दोनों मुरब्बो में दर्ज है, इसलिये कानूनन रास्ता में आपत्ति नहीं हो सकती है। गांव मोहनपुरा से खेत में आनें के लिये मुरब्बा नम्म्बर 16 के किला नम्बर 1 क रास्ता होनें से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि चक 2 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 में से उत्तरी हिस्सा में से 10 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करनें का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालिया द्वारा तैयार रिपोर्ट को भिजवाया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि प्रार्थीयान द्वारा चक 2 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 10 फीट (0.015 हैक्टर) रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जो कि राजस्व रिकार्ड में स्वयं प्रार्थीयान के नाम दर्ज है, गुरदाससिंह का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा कोनी के नाम से रहन दर्ज है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अन्य कोई सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा ना ही पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के रकबा में जानें हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अतः प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि में से प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थी के स्वयं के आवेदन पत्र प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 2 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक में 10 फीट (0.015 हैक्टर) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 18 जैड में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर